अध्याय IV
स्ट्रेस्ड परिसम्पत्तियों की वसूली

4.1 आईडीबीआई द्वारा एसएएसएफ को मामलों के हस्तांतरण के समय मामलों को सामान्य मामले, मुकद्दमा दायर किए गए मामलें और डिक्री मामलों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। 9 वर्षों की अवधि के बाद न्यास 319 मामलों को निपटाने[4], 101 मामलों को समाधित[5] करने में सफल रहा और अब 211 असमाधित[6] मामले थे। 31 मार्च 2013 तक निपटाए गए, समाधित और असमाधित मामलों को ब्यौरों को नीचे दिया गया है:

₹ करोड़ में

क्रम सं.	विवरण	मामलों की संख्या	एनएलओ	31 मार्च 2013 तक वसूली गई राशि	शेयर के माध्यम से निपटान	कुल [(v) + (vi]	एनएलओ (vii – iv) की तुलना में कम (-)/ अतिरिक्त वसूली
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)
निपटाए गए मामलें							
1	एनएलओ से कम वसूली	150	1964.86	1025.59	24.10	1049.69	(-) 915.17
2	एनएलओ से अधिक या बराबर वसूली	169	968.26	1473.24	38.56	1511.80	(+) 543.54
3	**कुल निपटाए गए मामले (1+2)**	**319**	**2933.12**	**2498.83**	**62.66**	**2561.49**	**(-) 371.63**
समाधित मामलें							
4	एनएलओ से कम वसूली	60	2650.30	785.32	43.62	828.94	(-) 1821.36
5	एनएलओ से अधिक या बराबर वसूली	41	227.99	371.70	19.85	391.55	(+) 163.56
6	**कुल समाधिक मामलें (4+5)**	**101**	**2878.29**	**1157.02**	**63.47**	**1220.49**	**(-)1657.80**
असमाधित मामले							
7	कोई वसूली न किए गए मामलें	79	625.32	0.00	0.00	0.00	(-) 625.32

[4] एसएएसएफ के संबंध में निपटान नकद और शेयर से किया गया है। शेयरों को बेचकर या वापस खरीदकर राशि की वसूली के अलग कोई अतिरिक्त वसूली अपेक्षित नहीं है।

[5] एसएएसएफ के संबंध में यह निपटान कि लिए एक करार है किन्तु वसूली का कार्य लम्बित है।

[6] एसएएसएफ के संबंध में यह मामले जिनका निपटान नहीं किया गया है।

8	एनएलओ से कम वसूली	117	2295.33	218.53	70.89	289.42	(-) 2005.91
9	एनएलओ से अधिक या बराबर वसूली	15	85.04	99.54	7.79	107.32	(+) 22.28
10	**कुल असमाधित मामले (7+8+9)**	**211**	**3005.69**	**318.07**	**78.69**	**396.75**	**(-)2608.94**
11	**असंगत**	**0**	**0.00**	**3.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
12	**कुल (3+6+10+11)**	**631**	**8817.10**	**3977.54**	**204.81**	**4182.35**	**(-) 4634.75**
13	**आईडीबीआई को वापस हस्तांतर किए गए आठ मामलों के संबंध में एनएलओ की वसूली या समायोजन**	**समायोजित नही किया गया**	**189.17**	**93.60**	**0.00**	**93.60**	**(-) 95.57**
14	**कुल**	**631**	**9,006.27**	**4,071.14**	**204.81**	**4,275.95**	**4,730.32**

₹ 2933.12 करोड़ के एनएलओ के कुल 319 निपटाए गए मामलों में से 150 को एनएलओ से कम की राशि पर निपटाया गया था। कम वसूली ₹ 915.17 करोड़ के बराबर थी। इसी प्रकार, ₹ 2,878.29 करोड़ के कुल एनएलओ के 101 समाधित मामलों में से 60 मामलों में वसूली ₹ 2,650.30 करोड़ के एनएलओ के प्रति ₹ 828.94 थी जिसके परिणामस्वरूप मार्च 2013 तक ₹ 1,821.38 करोड़ की कम वसूली हुई।

असमाधित श्रेणी में ₹ 625.32 करोड़ के एनएलओ के 79 मामलों में न्यास कोई वसूली नहीं कर सका और शेष 132 मामलों से यह ₹ 2,380.37 करोड़ के एनएलओ के प्रति केवल ₹ 396.75 करोड़ की वसूली कर सका था।

लेखापरीक्षा विश्लेषण ने दर्शाया कि ₹ 25 करोड़ से अधिक के एनएलओ के 52 मामलों में से 19 मामले निपटाए गए थे, नौ मामले समाधित थे और 24 मामले असमाधित रहे। इसके अतिरिक्त, 319 निपटाए गए मामलों में से 300 मामलें ₹ 25 करोड़ से कम एनएलओ के थे जिन्होने दर्शाया कि न्यास छोटे मामलों को निपटाने में सक्षम था और बडे मामलों की भारी संख्या असमाधित रही।

4.2 लेखापरीक्षा ने स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन के आधार पर 88 मामलों की जांच की। सत्वों के उधारकर्ताओं, प्रोत्साहकों के ब्यौरों, व्यक्तिगत प्रत्याभूति के ब्यौरों, एनएलओ, 31 मार्च 2013 तक वसूली गई राशि, शेयर द्वारा व्यवस्थापित राशि और एनएलओ की तुलना में कम/अतिरिक्त वसूली को अनुबंध IV में दिया गया है। मामलों के सार को नीचे दिया गया है:

₹ करोड़ में

विवरण	मामलों की संख्या	एनएलओ	वसूल की गई राशि
निपटाए गए मामले	34	1391.01	967.16
समाधित मामले	15	2326.60	686.03
असमाधित मामले	39	1935.97	208.56
कुल	**88**	**5,653.58**	**1,861.75**

4.3 व्यक्तिगत प्रत्याभूतियों के प्रबंध में कमियां

लेखापरीक्षा में नमूना जांच किए गए 88 मामलों में से ₹ 1,061.85 करोड़ के एनएलओ वाले आठ मामलों के संबंध में ऋण संवितरण के समय आईडीबीआई द्वारा कोई व्यक्तिगत प्रत्याभूति प्राप्त नहीं की गई थी। शेष 80 मामलों के संबंध में न्यास केवल 53 मामलेां के लिए व्यक्तिगत प्रत्याभूति की प्रतियां प्रस्तुत नहीं कर सका। 53 व्यक्तिगत प्रत्याभूतियों की संवीक्षा से पता चला कि केवल निम्नलिखित छः मामलों में सम्पत्ति के ब्यौरें उपलब्ध थे:

₹ करोड़ में

पार्टी का नाम	एनएलओ	शेयर सहित वसूल की गई राशि	प्रत्याभूति ब्यौरें	सम्पत्ति का मूल्य	उपयोग किया गया या नहीं
एसजेके स्टील प्लांट लिमिटेड	603.42	362.18	श्री वाई जनार्धन राव और श्री वाई जीतिन कुमार की व्यक्तिगत प्रत्याभूति (₹ 1449 करोड़)	10.10	उपयोग नही की गई। ओटीएस द्वारा अनुमोदित है
ई आर टेक्सटाईल्स लिमिटेड	77.93	10.35	श्री ग्रांधी ईश्वर राव, श्रीमति ग्रांधी सरस्वती और सुश्री ग्रांधी सरित (₹ 1500 करोड़)	43.80	उपयोग की गई। कम्पनी बीआईएफआर को भेजी गई है।
सुजाना मेटल प्रोडक्टस लिमिटेड	64.66	41.28	श्री वाई एस चौधरी, श्रीनिवास राजू (₹ 15 करोड़)	50.24	उपयोग नही की गई। कम्पनी को कारपोरेट डेट रिस्ट्रकचरिंग मंजूर की गई थी।

शामकेन मल्टीफैब लिमिटेड	37.01	0.00	श्री सुमित चतुर्वेदी, श्री एचबी चतुर्वेदी, श्री संजय चतुर्वेदी और श्री अमित चतुर्वेदी (प्रत्येक ₹ 15 करोड़)	6.40	उपयोग की गई। सरफेसी कार्रवाई आरम्भ की गई और मामला डीआरटी में लम्बित है।
दिवान शूगर लिमिटेड	25.40	4.87	श्री वी एल दिवान और श्री विवेक दिवान (₹ 5.54 करोड़)	1.96	एसएएसएफ के अनुसार प्रत्याभूति उपयोग नही की जा सकी थी क्योंकि कम्पनी कारपोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग के अधीन थी और बीआईएफआर के संरक्षण के तहत आती थी
वीनस शूगर लिमिटेड	9.72	4.33	श्री एम.पी. सिंह, श्री आर.के.गुप्ता और श्रीमति शशि रानी (₹ 10.94 करोड़)	3.31	उपयोग नही की गई। कम्पनी बीआईएफआर के अधीन है।

शेष 47 मामलों में कोई सम्पति ब्यैारे उपलब्ध नहीं थे। इस प्रकार, व्यक्तिगत प्रत्याभूतियां प्राप्त करना एक व्यर्थ कार्य बन गया था। अनुवर्ती घटनाओं ने दर्शाया कि व्यक्तिगत प्रत्याभूतियों ने देय राशि की वसूली करने में कोई सहायता नही की। केवल एक मामलें में प्रत्याभूति उपयोग द्वारा डेल्टा इनोवेटिव इंटरप्राइजेज लिमिटेड से ₹ 4.99 करोड़ वसूल किए जा सके थे।

- यद्यपि पीजीज़ में उधारकर्ता की चूक के कारण विक्रेता द्वारा की गई मांग पर प्रत्याभूतिदाता द्वारा देय राशि के भुगतान के दायित्व और ऋण के पूरे मूल्य तक प्रत्याभूतिदाता की नियत देयता सहित विभिन्न खण्ड शामिल है। तथापि, वह स्थान, मूल्य आदि जैसे सम्पति ब्यौरों द्वारा सहायक नहीं थे। अत: इन विवरणों के अभाव में ऐसी प्रतिभूतियॉ देने की प्रतिभूति दाताओं की क्षमता एवं योग्यता जॉचने हेतु आईडीबीआई के पास कोई साधन नहीं है। प्रतिभूति दाताओं द्वारा सम्पत्ति के विवरण तथा उनके मूल्य, उनके स्वामित्व के प्रमाण के बारे में प्रकटन तथा ऋणदाता की सहमति के बिना सम्पतियों

को ना बेचने के लिए वचनबद्धता के पश्चात ही पीजी को पूर्ण कहा जा सकता है।

- मैसर्ज डेल्टा इनोवेटिव इन्टरप्राईजेज लिमिटेड से संबंधित एक मामले में ही, एसएएसएफ पीजी का उपयोग करके ₹ 4.99 करोड़ वसूल कर सका था।

- प्रतिभूति दाताओं से वार्षिक आयकर रिटर्न तथा सम्पति विवरण की प्रतियॉ प्राप्त करने की कोई प्रणाली नहीं थी।

उपरोक्त स्थिति दर्शाती है कि प्रतिभूति दाताओं की सम्पति तथा आय विवरण के अभाव में व्यक्तिगत प्रतिभूतियॉ प्राप्त करना एक महत्वहीन प्रक्रिया बन गई है। प्रारंभ में आईडीबीआई तथा बाद में एसएएसएफ न्यास अपेक्षित उचित सतर्कता का उपयोग करने में विफल रहे। पीजी का प्रयोग करके केवल ₹ 4.99 करोड़ ही वसूल किये जा सके। अत:, वित्तीय हितों की सुरक्षा करने के लिए पीजी का महत्वर्पूण साधन प्रभावहीन रहा था। यदि आईडीबीआई/एसएएसएफ ने ये विवरण एकत्र किये होते तो, वे कर्जदारों के साथ बातचीत के दौरान समझौता शर्तों में और सुधार की स्थिति में होते। इससे वसूली की मात्रा बढ़ सकती थी।

न्यास ने बताया (अगस्त 2013) कि:

- प्रतिभूति बनाते समय, आईडीबीआई में प्रचलित पद्धति के अनुसार प्रतिभूति दाताओं की सम्पत्तियों का विवरण प्राप्त नहीं किया गया था एवं चूंकि आईडीबीआई से सभी खाते एसएएसएफ द्वारा अधिग्रहीत कर लिए गए थे, यह कमी प्रणाली में बनी रही।

- एसएएसएफ द्वारा खातों के निपटान तथा व्यक्तिगत प्रतिभूति की विमुक्ति पर विचार करते समय, प्रतिभूति दाताओं का प्रमाणित शुद्ध सम्पति प्रमाणपत्र प्राप्त किया जा रहा था।

- निपटान की तुलना में प्रतिभूति दाताओं के साधनों का एक अनुमान लगाने के लिए न्यास ने नीति को संशोधित किया तथा प्रतिभूतियों का मूल्य प्राप्त करने के लिए सनदी लेखाकार द्वारा शुद्ध सम्पति प्रमाणपत्र के अलावा न्यायालयों/ डीआरटीज में प्रतिभूति दाताओं द्वारा दर्ज किये गए सम्पतियों के शपथपत्र, आयकर रिटर्न प्राप्त किये।

तथ्य यह है कि नई नीति केवल उन मामलों पर लागू होगी जो अभी निपटाए जाने शेष हैं। पहले से ही निपटाए जा चुके मामलों के लिए न्यास ने एक बेहतर निपटान का अवसर खो दिया।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया कि एसएएसएफ ने व्यक्तिगत प्रतिभूति संबंधित दोष को कम करने के लिए विभिन्न कदम उठाए थे।